न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 75/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/98

1. नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र भैरूदान जाति ब्राहम्ण निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री सुभाष सहू	अभिभाषक अपीलांट
	श्री सत्यपाल सहू	
	श्री राजेश बैद	अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 14.02.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा माणकसर के खसरा नंबर 466/10 तादादी 6.325 हैक्टयर रकबा तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 द्वारा बाबूलाल पुत्र भैराराम का टी.सी आवंटन निरस्त कर दिया। तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 से व्यथित होकर रेस्पोन्डेट संख्या 1 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की। उक्त अपील पर निर्णय पारित करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 11.11.2021 को कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 466/10 तादादी 6.325 हैक्टयर भूमि की हद तक अपील को स्वीकार कर तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री सुभाष सहू ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। विवादित कृषि भूमि तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 द्वारा नगरपालिका परिधि में आ जाने के आधार पर टी.सी आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त भूमि नगर पालिका को हस्तातंरीत हो चुकी है। नगर पालिका सूरतगढ़ द्वारा इस रकबा में आबादी विस्तार हेतु सड़को का निर्माण कर दिया गया है। विवादित भूमि की काश्त बाबत कोई लगातार गिरदावरी प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 का ना तो मौके पर कब्जा काश्त है। अस्थाई आवंटन मात्र एक वर्ष हेतु किया जाता है जो स्वतः ही नवीनीकरण के अभाव में खारिज हो जाता है। नवीनीकरण नहीं होने पर खारीज हो जाता है परन्तु नवीनीकरण नही होने के बावजूद 11 वर्ष तक कोई कार्यवाही नही करना भी स्पष्टतः कब्जा नही होना इंगित करता है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये कानूनी प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किये गये। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.11.2021 निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री राजेश बैद ने बहस के दौरान कथन किया कि नगर पालिका सूरतगढ़ का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में नगर पालिका सूरतगढ़ पक्षकार नहीं है। अपीलांट का यह पक्ष है कि उक्त विवादित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने से उक्त रकबा पर अपीलांट का अधिकार है, जो अनुचित है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मौके पर काबिज है। जो आवंटन से लगातार रेस्पोडेंटस के कब्जे में है। वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कब्जे काश्त भूमि है जो बिना किसी आधार के नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज हुई। उक्त वादगत भूमि कभी भी अपीलांटस को आंवटन नहीं हुई है। इसलिए अपीलांट को व्यथित पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखा जावे एवं अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि केवल मात्र पैराफेरी क्षेत्र में आ जाने से आवंटी के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। हम अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर